मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

//आदेश //

भोपाल, दिनांक 05/10/2018

क्रमांक एफ 5(ए)/2016/ई/चार, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक डी-40/2807//2011/ई/चार, दिनांक 03.01. 2012 द्वारा विभिन्न विभागों के आंतरिक लेखा परीक्षण हेतु आंतरिक लेखा परीक्षण मैन्यूअल, 2011 लागू किया गया है। आंतरिक लेखा परीक्षण मैन्यूअल के अध्याय 13 अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षण हेतु पृथक से एक प्रकोष्ठ की स्थापना का प्रावधान है।

अत: राज्य शासन आंतरिक लेखा परीक्षण मैन्यूअल के प्रावधान अनुसार संचालनालय, कोष एवं लेखा के अन्तर्गत पृथक आंतरिक लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ के गठन की स्वीकृति प्रदान करता है। इस आंतरिक लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य विभिन्न आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा किए गए वित्तीय संव्यवहारों की प्रचलित वित्तीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में जांच किया जाना है। जिसके अन्तर्गत लेखा अभिलेखों एवं इसके अनुषांगिक दस्तावेजों की विस्तृत जांच, विशेषकर आई.टी. अंकेक्षण जाना अपेक्षित होगा।

उक्तानुसार कार्य संपादन हेतु आंतरिक लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ के अन्तर्गत कुल 561 अधिकारी/कर्मचारियों की पदीय संरचना स्वीकृत की जाती है। इन पदों की पूर्ति में 543 पदों को वर्तमान स्वीकृत संवर्गवार पद संख्या से समायोजन किया जाएगा। 18 नवीन पद सृजित किए जाएंगे। आंतरिक लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ

/2/

हेतु योजना कार्यालय, भोपाल, क्षेत्र कार्य एवं मॉनिटरिंग आदि हेतु आवश्यक स्वीकृत पदीय संरचना का विवरण निम्नानुसार होगा:

पदनाम	संचालनालय आंतरिक लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ	आंतरिक लेखा परीक्षण क्रियान्वयन हेतु	आंतरिक लेखा परीक्षण मॉनिटरिंग हेतु	कुल पदों की संख्या
अपर संचालक	-	-	01	01
संयुक्त संचालक	01	08	02	11
उप संचालक	01	29	03	33
सहायक संचालक	01	88	02	91
एस.ए.एस	03	262	03	268
तथ्यांक प्रशासक	-	-	01	01
सहायक प्रोग्रामर	-	03	-	03
शीघ्रलेखक ग्रेड -2	-	-	01	01
शीघ्रलेखक ग्रेड-3	01	01	01	03
सहायक ग्रेड-1	03	02	05	10
सहायक ग्रेड-2	10	10	15	35
सहायक ग्रेड-3 सह डाटा एण्ट्री आपरेटर्स	16	50	20	86
वाहन चालक (नवीन पद)	03	0	0	03
भृत्य (आउटसोर्सिंग)	07	04	04	15
कुल योग	**46**	**457**	**58**	**561**

/3/

आंतरिक लेखा परीक्षण के लिए प्रदेश के बजट नियंत्रण अधिकारी एवं आहरण संवितरण अधिकारियों को राज्य/विभाग के सकल बजट (आय एवं व्यय) में इन्हें आवंटित अंश के आधार पर उच्च, मध्यम व निम्न जोखिम श्रेणीयों में वर्गीकृत किया जाएगा। उच्च जोखिम श्रेणी के कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष, मध्यम जोखिम वाले कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण दो वर्ष में एक बार तथा निम्न जोखिम श्रेणी वाले कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण तीन वर्ष में एक बार किया जाएगा। इस हेतु अंकेक्षण दलों में शामिल दल के सदस्यों एवं संख्या का गणना पत्रक परिशिष्ट-1,2 एवं 3 पर संलग्न है। अंकेक्षण दलों की संख्या में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा समस्त बजट नियंत्रण एवं आहरण संवितरण अधिकारियों को उच्च/मध्यम/निम्न जोखिम कार्यालयों में वर्गीकृत कर इन कार्यालयों के अंकेक्षण दल का रोस्टर तैयार किया जाएगा एवं आंतरिक लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ दलों का गठन कर युक्तियुक्त तरीके से आंतरिक लेखा परीक्षण का कार्य संपादित कराया जाएगा।

संचालनालय के अन्तर्गत गठित प्रकोष्ठ के सुचारू संचालन हेतु अन्य अनुषांगिक कार्यवाही आयुक्त,कोष एवं लेखा द्वारा तैयार कर शासन के अनुमोदन से पृथक से लागू की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

5/X/2018

(मनोज कुमार जैन)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

उच्च जोखिम श्रेणी कार्यालयों के आंतरिक लेखा परीक्षण हेतु
लेखा परीक्षा दल का गणना पत्रक

परिशिष्ट-1

क्रमांक	श्रेणी	कुल संख्या	प्रतिमाह किए जाने वाले अंकेक्षणों की संख्या	प्रति दल द्वारा प्रतिवर्ष किए जाने वाले अंकेक्षणों की संख्या	अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण दल की आवश्यकता	अंकेक्षण दल का आकार
1	बजट नियंत्रण अधिकारी	06	02	12	0.5 अर्थात् 01	संयुक्त संचालक-1 सहायक संचालक-1 एस.ए.एस अधि.-3 प्रोग्रामर -1
2	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	697	02	24	29	उप संचालक-1 सहायक संचालक-1 एस.ए.एस.अधि.-3

मध्यम जोखिम श्रेणी कार्यालयों के आंतरिक लेखा परीक्षण हेतु लेखा परीक्षा दल का गणना पत्रक

परिशिष्ट-2

क्रमांक	श्रेणी	कुल संख्या	प्रतिमाह किए जाने वाले अंकेक्षणों की संख्या	प्रति दल द्वारा प्रतिवर्ष किए जाने वाले अंकेक्षणों की संख्या	अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण दल की आवश्यकता	अंकेक्षण दल का आकार
1	बजट नियंत्रण अधिकारी	18	1.5	18	1	संयुक्त संचालक-1 सहायक संचालक-1 एस.ए.एस अधि.-3 प्रोग्रामर -1
2	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	1872	2.5	30	31	सहायक संचालक-1 एस.ए.एस.अधि.-3

निम्न जोखिम श्रेणी कार्यालयों के आंतरिक लेखा परीक्षण हेतु लेखा परीक्षा दल का गणना पत्रक

परिशिष्ट-3

क्रमांक	श्रेणी	कुल संख्या	प्रतिमाह किए जाने वाले अंकेक्षणों की संख्या	प्रति दल द्वारा प्रतिवर्ष किए जाने वाले अंकेक्षणों की संख्या	अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण दल की आवश्यकता	अंकेक्षण दल का आकार
1	बजट नियंत्रण अधिकारी	94	2	24	4	संयुक्त संचालक-1 सहायक संचालक-1 एस.ए.एस अधि.-3 प्रोग्रामर -1
2	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	3240	4.5	54	20	सहायक संचालक-1 एस.ए.एस.अधि.-3

क्रमांक एफ 5(ए)/2016/ई/चार, **भोपाल,दिनांक** 05/**10/2018**

प्रतिलिपि:-

1. माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. विशेष सहायक, माननीय वित्त् मंत्री, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल
3. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
4. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग,
6. महालेखाकार,मध्यप्रदेश,ग्वालियर
7. शासन के समस्त विभाग,
8. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल,
9. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
10. समस्त संभागीय आयुक्त,मध्यप्रदेश,
11. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
13. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश,

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग